कार्यकारिणी अदालतों का भय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - गौतम भाटिया (अधिवक्ता, दिल्ली)

14 दिसंबर, 2018

"भारत को तत्काल रूप से समृद्ध कानूनी संस्कृति को फिर से अपनाने की आवश्यकता है।"

सोमवार को, मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.आर.सेन ने अपने एक फैसले में कहा कि यदि कोई भारतीय कानून और संविधान का विरोध कर रहा है तो उसे देश के नागरिक के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति सेन ने सेना भर्ती में निवास प्रमाण पत्र के अस्वीकार किए जाने से जुड़ी एक याचिका के निपटारे के दौरान यह फैसला दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और किसी को भी भारत को एक और इस्लामी देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि उनका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी में है कि वह भारत को दूसरा इस्लामिक देश बनने से बचाएंगे। उन्होंने मोदी से यह भी आग्रह किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिमों को भारत आने की अनुमति व यहां की नागरिकता पाने के लिए कानून बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे राजनेता 1947 में आजादी पाने के लिए बहुत जल्दबाजी में थे, इसलिए आज ये सभी समस्याएं हमारे समक्ष है। न्यायमूर्ति सेन ने सहायक सॉलिसिटर जनरल को अपने फैसले की एक प्रति 11-12-2018 तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय कानून मंत्री को सौंपने का निर्देश दिया है।

न्यायिक आजादी का अर्थ

हम आम तौर पर सरकार से आजादी के रूप में न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि न्यायाधीश अपना काम सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र हो कर सकें, जिसमें निश्चित वेतन, कार्यकाल की सुरक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण से संरक्षित है।

यहाँ आजादी का मतलब कुछ और है। यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीश अपनी संवैधानिक भूमिका को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं और पक्षपातपूर्ण विचारधाराओं से स्वतंत्र हो कर निभाया। बेशक, न्यायिक निर्णय एक राजनीतिक कार्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक न्यायाधीश की राजनीतिक दृष्टि उसके काम को सूचित करती है। हालांकि, न्यायाधीश को राजनेता बनने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। हर समय, वह कानून और संविधान के लिए प्राथमिक निष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य है।

हांलाकि, न्यायिक आजादी उस कानून को पहचानने वाले न्यायाधीशों पर निर्भर करती है, जहाँ यह राजनीति से प्रभावित हो कर भी झुक नहीं सकती। कानून और निर्णय महत्त्वपूर्ण तरीकों से पक्षपातपूर्ण राजनीति से स्वायत्त बने रहना चाहिए। और जितना अधिक हम न्यायिक स्वतंत्रता को अपने पहले अर्थ में मजबूत करते हैं अर्थात सरकार से स्वतंत्रता, इस पर दूसरे अर्थ में हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियंत्रण जवाबदेही के साथ आता है। उदाहरण के लिए, राजनेता कुछ अर्थों में जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि वें पांच साल बाद कार्यालय में बने रहने के लिए जनता पर निर्भर करते हैं। न्यायाधीश जो किसी भी बाहरी नियंत्रण से संरक्षित हैं, केवल खुद के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनकी संवैधानिक भूमिका की सीमाओं की अपनी समझ होती है।

हालांकि, केवल खुद के लिए उत्तरदायी बनना बाध्यता का एक बहुत ही कमजोर रूप है। आगे बढ़ने का मोह हमेशा अनमोल होता है, वो भी तब जब इस तरह की बड़ी शक्ति अपने हाथों में हो। न्यायिक उत्तरदायित्व को स्थापित करने में न्यायिक संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक संस्कृति द्वारा, मैं (लेखक) एक अलिखित, लेकिन स्पष्ट रूप से स्थापित, मानदंडों का एक सेट संदर्भित करता हूं जो यह निर्धारित करता है कि निर्णय की प्रक्रिया में क्या स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है। एक न्यायिक संस्कृति का निर्माण खुद-बखुद नहीं होता है, इसे न्यायाधीशों, वकीलों, कानूनी शिक्षाविदों, प्रेस और नागरिक द्वारा बनाया और पोषित किया जाता है।

संकट की जड़ें

अब सवाल उठता है कि कब और कहाँ हमारी कानूनी संस्कृति असफल हुई? इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा। 1980 के दशक में, न्यायिक शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ। यह विस्तार इस अर्थ से प्रेरित था कि न्यायपालिका लंबे समय से रूढ़िवादी संस्था रही है, जो लोगों के हितों के खिलाफ पक्ष ले रही थी। इसे बदलने की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति पर प्रक्रियात्मक जांच को हटाना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ कदम महत्वपूर्ण और आवश्यक थे, जैसे अदालतों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों की तरफ से सार्वजनिक हित मामलों को दायर करने की इजाजत दी गई थी।

1980 के दशक के सुप्रीम कोर्ट की अत्यधिक सराहना की गई। 1990 और 2000 के दशक तक, न्यायिक सक्रियता के भ्रामक लेबल के तहत, अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी पहल की देखरेख करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रबंधन से शहरों को सुंदर बनाने के प्रबंधन से कई प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। संवैधानिक न्यायालय एक सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय बन गया था।

एक डरावनी संभावना

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में अदालतों का रिकॉर्ड मिश्रित रहा है। बहुत से मामलों में, अदालतों ने कार्यकारी और सरकार को अलग रखने का प्रयास किया है। हालांकि, राष्ट्रीय गान आदेश, तिरुक्कुरल आदेश, एनआरसी प्रक्रिया, और न्यायमूर्ति सेन के हालिया प्रयासों जैसे निर्णय एक गंभीर संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं अर्थात एक कार्यकारी अदालत।

एक कार्यकारी अदालत द्वारा, मेरा (लेखक) मतलब है कि ऐसा अदालत जिसका नैतिक और राजनीतिक कंपास वर्तमान सरकार के साथ संरेखण में है और वह इसी कंपास के अनुरूप कार्य करता है और उसे इसका मलाल भी नहीं है। सरकारी शक्ति की जांच और उसे सीमित करने के बजाय, एक कार्यकारी अदालत खुद को सरकार के साथ आगे बढ़ा रही है।

वर्तमान में हमें तत्काल एक समृद्ध कानूनी संस्कृति की आवश्यकता है। एक सिद्धांतबद्ध सामंजस्य, जहाँ न्यायाधीशों को हमेशा उनके फैसले का कारण देना होगा, संवैधानिक न्यायालय को एक कार्यकारी अदालत में परिवर्तित होने से रोक सकती हैं।

GS World टीम...

न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा

क्या है मामला?

- अभी हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन ने कहा कि भारत को आजादी के समय ही हिंदूराष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था।
- उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और सांसदों से ऐसा कानून बनाने को कहा, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जैंतिया और गारो लोग भारत में रह सकें और उन्हें यहां की नागरिकता दी जा सके।
- केंद्र के नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग छह साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता के हकदार हैं, लेकिन अदालती आदेश में इस विधेयक का जिक्र नहीं किया गया है।
- न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन ने कहा कि भारत को आजादी के समय ही हिंदूराष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था।

संवैधानिक स्थिति

- राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, जो संविधान के रखवाले की उसकी भूमिका के लिए आवश्यक है।
- राज्य के हर अंग और लोकतंत्र के प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी की तरह न्यायपालिका भी एक संस्थान है और हर न्यायाधीश सार्वजनिक पदाधिकारी, जो राजनीतिक संप्रभुता-यानी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। फर्क सिर्फ जवाबदेही लागू करने की प्रक्रिया के स्वरूप या प्रकृति का है।
- संक्षेप में, न्यायिक जवाबदेही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक पहलू है; और न्यायिक जवाबदेही लागू करने की प्रक्रिया को अनिवार्यत: न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'कार्यकारी अदालत' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
   1. ऐसी अदालत, जो सरकारी शक्ति की जाँच और उसे सीमित करने के बजाय, खुद को सरकार के साथ आगे बढ़ाती है।
   2. लोक अदालत, जिसमें दिए गए निर्णय किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: वर्तमान में न्यायिक अति सक्रियता के कारण सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय बन गया है, जो एक 'कार्यकारी अदालत' की संज्ञा को सार्थक बनाता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 13 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।